कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।
पत्रांक–170/रेनुकूट/15–295 दिनांक,रेनुकूट,जुलाई, 16, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0.एम0जी0एस0वाई.खण्ड
लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भः– आपका पत्र संख्या–993/यू0पी0 67144–पी0एम0जी0एस0वाई0/2021दिनांक–05.07.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ इस वन प्रभाग में प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखो का अभाव पाया गया –

1– प्रस्ताव मे अंकित मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किया जाना है उससे संबंधित मार्ग का निर्माण पूर्व में कब तथा किस आदेश से किया गया है उससे संबंधित अभिलेखो/आदेशो की प्रतियॉ संलग्न की जाय ।

2– प्रस्ताव में संलग्न हार्ड कापी फार्म–'क' के भाग–'। के बिन्दु संख्या–2 मे कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यावार विवरण में वन भूमि का क्षेत्रफल अंकित है किन्तु गैर वन भूमि का क्षेत्रफल अंकित नही है जिसे संशोधित किया जाय ।

3– प्रस्ताव में संलग्न हार्ड कापी फार्म–'क' के भाग–'। के अन्त में तिथि एवं स्थान अंकित नही है जिसे अंकित किया जाय ।

4– प्रस्ताव में लागत लाभ विश्लेषण संलग्न नही है जिसे संलग्न किया जाय ।

5– प्रस्ताव में फार्म –ख संलग्न नही है जिसे प्रभाग से प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।

6– प्रस्ताव में संलग्न एरिया कल्कुलेशन शीट पर हस्ताक्षर नही है जिस पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है

7–प्रस्ताव में संलग्न गजट पर हस्ताक्षर नही है जिस पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है ।

8–प्रस्तगत परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षो की प्रजातिवार/व्यासवार/वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नही है जिसे संलग्न किया जाय ।

9– जियो रेफरेन्स मानचित्र में गैर वन भूमि के क्षेत्रफल को एक स्थान पर दिखाया गया है जबकि गैर वन भूमि का क्षेत्रफल 7 स्थानो पर प्रदर्शित होना चाहिए ।

10–प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम–बहेराडोल व कटौधी में प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित मानचित्र को ही प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।

11–प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के संबंध में प्रभाग के पत्र संख्या–3494/रेनुकूट/15–295 दिनांक– 13.04.2021 के बिन्दु संख्या– 1 में अंकित उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक– 28 जून 2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी के स्तर से जारी प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।

12–प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के ग्रामवार, पुराने/नये नम्बरो की सूची तैयार कराते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया जाय ।

13–प्रकरण में प्रभावित वन भूमि से संबंधित जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी सर्किल दर की सूची संलग्न किया जाय ।

14–प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में डी0एस0एस0 एनालेसिस प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न किया जाय ।

15–प्रश्नगत प्रस्ताव के संबंध में कोई तथ्या छिपाया नही गया है उससे संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय ।

16–प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के संबंध में वन अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी वन अधिकारी संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न किया जाय ।

17–प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रभावित वृक्षो के धनत्व के आधार पर एन0पी0वी0 की गणना संलग्न किया जाय ।

18–प्रश्नगत प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण की योजना संलग्न नही है जिसे प्रभाग स्तर से प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।

19–प्रश्नगत प्रस्ताव में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रीमीयम/लीज रेंट की निर्धारित धनराशि जमा किये जाने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय ।

20–प्रस्तावित वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित गैर वन भूमि से संबंधित के0एम0फाईल की सी0डी0 संलग्न किया जाय ।

21–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आनलाईन फीड किये गये प्रारूप के बी–2–4 में गैर वन भूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है जिसे संशोधित किया जाय ।

22– प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई अंकित नही है जिसे यथा स्थान अंकित किया जाय ।

उपरोक्त कमियों का निराकरण कराते हुए समस्त पन्नो पर पृष्ठ संख्या अंकित कराते हुए उसी के अनुसार विषयसूची भी तैयारी करायी जाय ।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ ।</u> ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट